न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं0–2,आगरा।

परिवाद सं0 8845/2019

मैसर्स रामवती शीतगृह बनाम रामनाथ एण्ड संस एच.यू.एफ
धारा 138 एन.आई.एक्ट
थाना छत्ता, जनपद आगरा।

12.06.2026

पत्रावली पेश हुई। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस प्रस्तुत कर कथन किये गये हैं कि उपरोक्त परिवादी में परिवादी का विपक्षी के साथ राजीनामा हो गया है व परिवादी एवं विपक्षी के मध्य उपरोक्त परिवाद में वर्णित धनराशि/चेक के विषयक समस्त विवाद समाप्त हो गए हैं। अब परिवादी व विपक्षी के बीच उपरोक्त परिवाद की विषय वस्तु चेक सं0 328625 को लेकर किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति नहीं है। अब परिवादी उपरोक्त परिवाद में विपक्षी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करना नहीं चाहता है व परिवाद की कार्यवाही को आगे चलाना नहीं चाहता है। परिवादी के उपरोक्त परिवाद के प्रत्यहरण की अनुमति प्रदान की जाये व परिवादी को उसका मूल चेक वापस प्रदान किया जाये व विपक्षी के विरूद्ध उपरोक्त परिवाद की कार्यवाही समाप्त की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस के अनुसार यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अन्तिम आदेश पारित किये जाने से पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरूद्व या जहॉ एक से अधिक अभियुक्त हो अथवा उन सब या उनमें से किसी के विरूद्व उसके परिवाद को वापस लेने की अनुज्ञा देने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को जिसके विरूद्व परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाये, दोषमुक्त कर देगा, अतः उपरोक्त धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस के अभिकथित सिद्वान्त के अनुसार जब कि परिवादी धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस के अन्तर्गत मुकदमा वापस लेकर परिवाद का निस्तारण कराना चाहता है उसका प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 257 दं0प्र0सं0/280 बी.एन.एस.एस स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त रामनाथ बत्रा उर्फ राम कुमार कर्ता एवं रामनाथ एण्ड संस एच.यू.एफ को दोषमुक्त किया जाता है। परिवाद को नियमानुसार मूल चेक वापस हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(बटेश्वर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं0–02, आगरा।

Digitally signed by BATESHWAR KUMAR
Date: 2026.06.15 08:04:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court